बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 10/11/2023

अ०सं०:संब0–6032/2023–776/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–30.09.2023 को गैर–सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर–सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से **सत्र–2023–24** हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl No	Name of the Medical College	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	Radha Devi Jageshwari Memorial Medical College & Hospital	Muzaffarpur	MBBS	**150**

नियम एवं शर्तें:–

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. **उपर्युक्त चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित MBBS कोर्स को माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 10903/2023 में दिनांक–03.08.2023 में पारित आदेश के आलोक में प्रदान किया जा रहा है। औपबंधिक संबद्धता माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में लंबित CWJC No. 10903/2023 के फलाफल से प्रभावित होगा।**
3. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।
4. यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र–2022–23 का संबद्धता पत्र समर्पित नहीं किया गया है, तो महाविद्यालय/संस्थान नामांकन लेने के पूर्व पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र–2022–23 का संबद्धता पत्र समर्पित करेंगे।
5. यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा सत्र–2023–24 हेतु संबंधित NMC, New Delhi से नामांकन की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र–2023–24 में बिना NMC, New Delhi की अनुमति प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे। नामांकन की अनुमति प्राप्त होने पर अविलंब इसकी एक प्रति यथाशीघ्र विश्वविद्यालय में समर्पित करेंगे।
6. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा NMC, New Delhi से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। NMC, New Delhi द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में NMC, New Delhi द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
7. यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर देंगे।
8. महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।

9. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
10. विश्वविद्यालय/NMC, New Delhi/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एंव अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
11. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/NMC, New Delhi के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
12. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
13. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

10/11/2023

(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032/2023–776/ **पटना, दिनांक** 10/11/2023

प्रतिलिपि–प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

10/11/2023
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032/2023–776/ **पटना, दिनांक** 10/11/2023

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली/कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

10/11/2023
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032/2023–776/ **पटना, दिनांक** 10/11/2023

प्रतिलिपि–डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10/11/2023
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्ववृिद्यालय, पटना